रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 43] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 4, 2019/पौष 14, 1940
No. 43] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 4, 2019/PAUSHA 14, 1940

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 2019

का.आ. 47(अ).—केन्द्रीय सरकार ने इथेनोल का उत्पादन बढ़ाने और विशेष रूप से अधिशेष वाले मौसम में पैट्रोल के साथ इथेनोल ब्लेंडिंग (ईबीपी) कार्यक्रम के अधीन इसकी आपूर्ति बढ़ाने और इससे चीनी मिलों की नकदी की स्थिति में सुधार करने, ताकि उन्हें किसानों के गन्ना मूल्य बकाया का भुगतान करने में सक्षम बनाया जा सके, की दृष्टि से अधिसूचना सं. का.आ. 3523(अ) दिनांक 19.07.2018 द्वारा एक स्कीम अर्थात् – 'इथेनोल उत्पादन क्षमता बढ़ाने और उसमें वृद्धि करने के लिए चीनी मिलों को वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी स्कीम' अधिसूचित की थी, जिसे तत्पश्चात अधिसूचना सं. का.आ. 3952(अ) दिनांक 09.08.2018 तथा अधिसूचना सं. का. आ. 5219 (अ) दिनांक 11.10.2018 द्वारा संशोधित किया गया था।

2. दिनांक 19.07.2018 की उक्त अधिसूचना के पैरा 9 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार ने यह निर्णय लिया है कि उक्त अधिसूचना का पैरा 3 (i) निम्नानुसार पढ़ा जाए:-

> "बैंकों/राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम/भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड द्वारा दिए जाने वाले ऋण पर बैंकों/राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम/भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड द्वारा प्रभारित 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज छूट अथवा ब्याज दर की 50% राशि, जो भी कम हो, केन्द्रीय सरकार द्वारा पांच वर्ष के लिए वहन की जाएगी।"

अधिसूचना का पैरा 5 (i) निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:-

> "आवेदन-सह-प्रस्ताव की जांच के बाद खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग अपना सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करेगा और ऐसे अनुमोदित प्रस्ताव ऋण देने वाले बैंकों/राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम/भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड को ऋण की स्वीकृति हेतु विचारार्थ संस्तुत करेगा। बैंकों/राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम/भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड को अपने वाणिज्यिक मानदंडों/नीतियों तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर अधिसूचित पुनः संरचना दिशा-निर्देशों सहित विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुपालन में ऋण स्वीकृत/निर्गत करने की स्वतन्त्रता होगी।"

अधिसूचना का पैरा 5 (v) निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

"वित्तीय सेवाएं विभाग इस स्कीम को प्रचालित करने के लिए नोडल बैंक के रूप में नाबार्ड की नियुक्ति सहित बैंकों/राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम/ भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड को समुचित अनुदेश जारी करेगा।"

अधिसूचना का पैरा 6 (iii) निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

"चीनी मिलों के पास अधिशेष नकद प्रवाह की स्थिति में भुगतान में तेजी लाने का निर्णय बैंकों/राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम/भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड द्वारा लिया जाएगा और ऋण खाते पर खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की ब्याज छूट संबंधी देयता तदनुसार कम हो जाएगी।"

[फा. सं. 1(10)/2018-एसपी-1]

सुरेश कुमार वशिष्ठ, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th January, 2019

S.O. 47(E).—The Central Government, with a view to increase production of ethanol and its supply under Ethanol Blended with Petrol (EBP) Programme, specially in the surplus seasons and thereby to improve the liquidity position of the sugar mills enabling them to clear cane price arrears of the farmers, notified the following scheme namely— "Scheme for extending financial assistance to sugar mills for enhancement and augmentation of ethanol production capacity" vide notification No. S.O. 3523(E), dated 19.07.2018, which was subsequently amended vide notifications No. S.O. 3952(E) and No. S.O. 5219(E) dated 09.08.2018 and 11.10.2018 respectively.

2. Now in pursuance of para 9 of the said notification dated 19.07.2018, Central Government has decided that Para 3(i) of the notification may be read as under:-

"Interest subvention @ 6% per annum or 50% of rate of interest charged by banks/National Cooperative Development Corporation (NCDC)/ Indian Renewable Energy Development Agency Limited (IREDA), whichever is lower, on the loans to be extended by banks/NCDC/IREDA, shall be borne by the Central Government for five years"

Para 5(i) of the notification may be read as under:-

"After scrutinizing the applications cum proposals, DFPD will accord it's in principle approval and recommend such approved proposals to the lending banks for considering sanction of loan. Banks/NCDC/IREDA would be at liberty to sanction/release the loan as per their commercial norms/policies and in compliance with regulatory guidelines, including the restructuring guidelines, as notified by RBI from time to time."

Para 5(v) of the notification may be read as under:-

"The Department of Financial Services (DFS) will issue suitable instructions to the banks/NCDC/IREDA to operationalize the scheme including appointment of NABARD as a nodal bank".

Para 6(iii) of the notification may be read as under:-

"In the event of surplus cash flow with the sugar mills, accelerated payments may be decided by the bank/NCDC/IREDA and the interest subvention liability of DFPD towards loan account would accordingly get reduced."

[F. No. 1(10)/2018-SP-I]

SURESH KUMAR VASHISHTH, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2019.01.08 11:20:18 +05'30'